संख्या-25/2018/1416/62-2-2018-2/3(36)/2018

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।]

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2018**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन केन्द्र पोषित योजना में संचालित स्टेटिकल सेल का गठन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 03 माह हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-70/ल0सिं0/बजट-के0पो/2018-19, दिनांक 18.04.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के.100/रा.00-के0) में प्राविधानित धनराशि रू0-30.30 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रू0-7.57 लाख (रू0 सात लाख सत्तावन हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018, दिनांक 30.03.2018 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम में चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाया।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिशासी अभियंताओं को आंवटित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय।

(5) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें;-

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2018 तक
3-व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15-12-2018 तक
4-वर्ष 2018-19 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2019 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2019 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2019 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के.100/रा.00-के0) में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2018/1416(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- उप निदेशक, सांख्यिकीय सेल, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-25/2018/1416/62-2-2018-2/3(36)/2018, दिनांक 08 मई, 2018 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के.100/रा.00-के0)" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1.	01-वेतन	20.00	6.19
2.	03-मंहगाई भत्ता	2.00	0.50
3.	04-यात्रा व्यय	0.30	0.08
4.	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10	0.00
5.	06-अन्य भत्ते	2.50	0.62
6.	07-मानदेय	0.10	0.00
7.	08-कार्यालय व्यय	0.08	0.02
8.	09-विद्युत देय	0.05	0.00
9.	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.07	0.01
10.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10	0.00
11.	13-टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.00
12.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धित स्टेशनरी का क्रय	0.15	0.03
13.	49-चिकित्सा व्यय	0.50	0.12
14.	51-वर्दी व्यय	0.03	0.00
15.	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.12	0.00
योग:-		30.30	7.57

(रू0- सात लाख सत्तावन हजार मात्र)

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in